न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

[illegible]र 206/2022

दायर दिनांक–27.10.2022

1. हरनन्द पुत्र टीकुराम (मृतक)
   1/1 सुमित्रा देवी पत्नी हरनन्द
   1/2 सुनिता देवी पुत्री हरनन्द
   1/3 महेन्द्र सिंह पुत्र हरनन्द
   1/4 देवेन्द्र सिंह पुत्र हरनन्द
   1/5 कमलेश कुमार पुत्र हरनन्द समस्त जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. नेमीचंद पुत्र टीकुराम
3. जगनलाल पुत्र गोविन्दाराम
4. श्रीचंद पुत्र श्री गोविन्दाराम समस्त जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. आनन्द सिंह पुत्र समन्दर सिंह
2. रूप सिंह पुत्र समन्दर सिंह
3. छगनकंवर पत्नी समंदर सिंह
4. कालू सिंह पुत्र भंवर सिंह
5. धन सिंह पुत्र भंवर सिंह
6. मंगेज कंवर पत्नी भंवर सिंह
7. जय सिंह पुत्र श्री सुख सिंह
8. जितेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह
9. विरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा
व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–21.10.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 186 पुराना 179 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 1.7280 है0 खसरा नम्बर 974/34 रकबा 0.0720 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.792 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(हस्तलिखित: 1.8000)

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज [illegible] गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की तलबी [illegible]यक [illegible]मे होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल [illegible] गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] होने [illegible] प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी [illegible] के शपथ पत्र पेश किये। [illegible] ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 इकरारनामा [illegible] 2 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श [illegible] नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–35 प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2048–51 प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–59 प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी सम्वत् 2060–63 प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2052–55 प्रदर्श 9 जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 10 मौका फोटो आदि दस्तावेज पेश किये।

नोट :- आदेशिका दिनांक 7/1/25 के अनुशरण मे रकबा 1.792 के स्थान पर 1.8000 दुरुस्त किया जाता है

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

ए.सी. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:44:05 IST
Reason: SelfAttested

46

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार वाके राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा में स्थित खसरा नम्बर 15 रकबा 1.7280 है0 खसरा नम्बर 974/34 रकबा 0.0720 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.792 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श–1 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि मै भंवरसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा मै मेरी जमीन गांव गिरधरपुरा शाहपुरा में स्थित खसरा नम्बर 15 रकबा 1.7280 है0 खसरा नम्बर 974/34 रकबा 0.0720 है0 का बेचान हरनन्दा, नेमीचंद जगनाराम, श्रीचंद को 10000/– रूपये में बेची है तथा मौजीज व्यक्तियों के सामने लिखापढी भी करवा दी है मैं बीमार हु तथा ठीक होने पर आगे रजिस्ट्री करवा दूंगा। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में क्रेतागण व विक्रेतागण व उपस्थित गवाहान् के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी कई वर्षो से वादीगण का होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का खंडन नही किया है तथा ना किसी तरह का एतराज पेश किया हो एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादीगण द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। अतः न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक करेएवं पंजीयन शुल्क वादीगण से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा में स्थित खसरा नम्बर 15 रकबा 1.7280 है0 खसरा नम्बर 974/34 रकबा 0.0720 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.792 है0 भूमि का वादीगण 01 लगायत 04 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी॰एल॰सी॰ दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादीगण से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(1.8000)

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

नोट :- आदेशिका दिनांक 7/1/25 के अनुसरण मे रकबा 1.792 के स्थान पर 1.8000 दुरस्त किया जाता है

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:44:05 IST
Reason: SelfAttested

47

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–206 / 2022 **(हरनन्द बनाम आनन्द आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.10.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 1.7280 है0 खसरा नम्बर 974 / 34 रकबा 0.0720 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.792 है0 भूमि का वादीगण 01 लगायत 04 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

(1.8000)

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.10.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

नोट :- आदेशिका दिनांक 7/1/25 के अनुसरण में रकबा 1.792 के स्थान पर 1.8000 दुरुस्त किया जाता है।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:44:05 IST
Reason: SelfAttested